न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र क्रमांकः— 112/2022

1. भोला पुत्र धर्मसिंह जाति मीना निवासी हाडौली तह0 उच्चैन जिला भरतपुर नाबालिग सरपरस्त कुदरती वली मां खुद राधा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र दानी जाति मीना निवासी हाडौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः—01.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1475/0.27, 433/0.45, 679/0.85, 692/1.02है0 बाके ग्राम हाडौली तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी, अप्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण के पूर्वजों की छोडी हुई पैत्रिक आराजी है जिसकी खातेदारी वहैसियत कर्ता खानदान अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थी को अपने बाबा अप्रार्थी के नाम दर्ज हो रही पैत्रिक आराजी में अपने नोशनल शेयर की बाबत् बाई बर्थ कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी काबिज आराजी है। अप्रार्थी शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन का अभ्यस्त हो गया है जो इन बुरे व्यसनों की पूर्ति हेतु अपने नाम हो रही उक्त पैत्रिक आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहा है। दिनांक 25.01.2024 को जब अप्रार्थी गांव में अन्य लोगों से विवादित आराजी को बय करने की बातचीत करते हुये सुना तो अपनी उक्त पैत्रिक आराजी को बेचान करने से मना किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को खुलेआम धमकी दी कि विवादित आराजी मेरे नाम दर्ज है और मुझे अपने खर्चों के लिये इसे इच्छानुसार बेचने का अधिकार है। अप्रार्थी ने विवादित आराजी बावत् प्रार्थी के निहित खातेदारी अधिकारों को मानने से साफ इन्कार कर दिया है इसलिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

खातेदारी अधिकारों को मानने से साफ इन्कार कर दिया है इसलिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टरर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 03.04.2025 को जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी से प्रार्थी के पूर्वजों का किसी हैसियत से सम्बन्ध व सरोकार नहीं है केवल उक्त आराजी असल प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पूर्वजों की जायदाद है नाहि प्रार्थी का उक्त आराजी पर किसी हैसियत से कब्जा है नाहि प्रार्थी उक्त परिवार का सदस्य है सजरा में प्रार्थी ने गलत रूप से दर्ज किया है तथा पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का अप्रार्थी न्यारानूर खातेदार काश्तकार व काबिज है उक्त आराजी से तरतीवी प्रतिवादीगण का भी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है केवल तरतीवी प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में विरासतन ही अधिकार अप्रार्थी की मृत्यू के बाद ही हो सकेगा लेकिन प्रार्थी जोकि अप्रार्थी के लिये बिल्कुल ही अजनबी व अपरिचित है तो उसके उस आराजी में किसी भी हैसियत से खातेदारी अधिकार कतई पैदा ही नहीं होते है प्रार्थी अप्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी में बाई बर्थ खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पाने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी मां राधा की संरक्षकता में पेश किया है जो कि काल्पनिक नाम है चुंकि सरंक्षक ने स्वयं प्रार्थना पत्र में अपने को मुस्लिम समुदाय की होना कथन किया है मुस्लिम समुदाय में ऐसे नाम कहीं पर भी नहीं रखे जाते है प्रार्थी की सरंक्षक मां एक चालाक जालसाज महिला है जो कि कस्बा उच्चैन में रहते हुये कई बार झूठी रिपोर्ट अप्रार्थी व उसके परिवार के विरूद्ध रेप जैसे संगीन व घिघौने मुकदमे कायक कर चुकी है जिनमें पुलिस थाना उच्चैन ने बाद अनुसंधान झुठा पाया था। प्रार्थी ना तो धर्मसिंह की संतान है और ना ही अप्रार्थी के किसी भी वारिस के साथ कभी भी किसी हैसियत से संबंध रहे है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झुठे व असत्य तथ्यों के आधार पर पेश किया है प्रार्थी न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी भोला अप्रार्थी का सगा नाती एवं प्रतिवादी संख्या 2 धर्मसिंह का सगा पुत्र है। विवादित आराजी प्रार्थी के बाबा रामदयाल के नाम दर्ज है जो कि उक्त आराजी का बेचान करना चाहता है जबकि उक्त आराजी में प्रार्थी को बाई बर्थ अपने नोशनल शेयर के बावत् खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की संरक्षक मां मुस्लिम धर्म से है जिसने काल्पनिक नाम राधा रख लिया है। प्रार्थी, अप्रार्थी के किसी वारिसान की संतान नहीं है। प्रार्थी अजनबी आदमी है एवं उसका अप्रार्थी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नहीं है। पूर्व में भी प्रार्थी की मां द्वारा अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

पर दवाव वनाने के लिये रेप जैसे केस की एफआईआर की है जिनको अनुसंधान अधिकारी ने गलत सावित किया है। धर्मसिंह ने अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है वह गुजरात में नौकरी करता है।

अभिभाषक प्रार्थी ने जवाव करते हुये कथन किया कि प्रार्थी धर्मसिंह का पुत्र है एवं राधा धर्मसिंह की पत्नि है इसको झूठा सावित करने के लिए अप्रार्थी के द्वारा गांव से किन्हीं व्यक्तियों का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया। अप्रार्थी डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का वावा खातेदार है जिनका प्रार्थी पोता है। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का वावा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं विवादित आराजी पैत्रिक है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के जन्म लेते ही हक निहित होते है। इस प्रकार प्रकरण में मजवूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सवूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अव प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त आराजी पैत्रिक होने के आधार पर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की रिकार्ड एवं मौके स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात वादी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रवल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के वारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पैत्रिक है जो कि प्रार्थी के वावा के नाम दर्ज रिकार्ड है। चुकि उक्त विवादित आराजी पैत्रिक है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में प्रार्थी के वाई वर्थ खातेदारी अधिकार निहित है। यदि उक्त विवादित आराजी का वेचान अप्रार्थी द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हकों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थी को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजवूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को

Bharti
सहायक कलक्टर
[illegible] (...पुर)

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1475/0.27, 433/0.45, 679/0.85, 692/1.02है0 (मुताबिक जमाबंदी 2075–2078) बाके ग्राम हाडौली तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27/03/25	प्रा... पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 3/4/25 को पेश हो।	
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपा. प्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया व शामिल पत्रावली किया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/4/25 को पेश हो। Shanti	
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपा. पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/4/25 को पेश हो। Shanti	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपा. पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/5/25 को पेश हो। Shanti सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपा. प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० है। नम्बर से कम पत्रावली फैसल शुमार हो। होकर अभिलेख दफ्तर हो। Shanti सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	